NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 410/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 ीें ंचचतवअमक जव उंाम ंद वतकपदंदबम तमहंतकपदह जीम मेजंइसपेीउमदज व िेचमबपंस बमदजतमेए ेचमबपंसप्रमक संइवतंजवतपमे ंदक वजीमत Committees in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

ज्ीम न्दपअमतेपजल उंल मेजंइसपेी ैचमबपंस ब्मदजमते ैचमबपंसप्रमक संइवतंजवतपमेए ब्मदजतम व िमगबमससमदबमए ब्मदजतम व िAdvanced Studies etc. from time to time to promote teaching and excellence in research by supporting research programme in emerging areas in Agriculture and allied Sciences.

ज्ीम न्दपअमतेपजल उंल मुनपच ूपजी जीम उवकमतद पदतिं.ेजतनबजनतंस ंिबपसपजपमे पद संइवतंजवतलध्ॅवतोीवचध्ब्वउचनजपदह facilities to enhance functional efficiency for teaching, training and research purposes.

All such proposals shall be prepared by the respective Departments and be forwarded to the Vice-Chancellor/Director of Education for considerations and approval from the Academic Council. If the Council approves the same then the proposal should be forwarded to the Board of Management for its considerations and approval.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (k) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do ीमतमइल उंाम जीम पितेज वतकपदंदबम ंदक दवजपलि जीम चतवअपेपवद व िमेजंइसपेीउमदज व िैचमबपंस ब्मदजतमेए ैचमबपंसप्रमक संइवतंजवतपमे in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

leLrhiqj] 16 vxLr] 2023

v/;kns"k

Øekad % 411/डाॅ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय —f"k fo'ofo|ky;] iwlk ds fnukad 28-10-2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृष्ि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों एवं प्राधिकरणों के साथ सहयोग के तरीकों से संबंधित i=kad 5&42@2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 tqykbZ] 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है:-

<u>विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग एवं सहयोग का त</u>jhdk %

MkW- jktsUæ çlkn dsUæh; —f"k fo'ofo|ky;] iwlk ds ifjfu;e&2016 dh /kkjk&42 के अन्तर्गत निम्न प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है:-

‘‘विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम के संचालन हेतु किसी उच्च श्िाक्षा के शैक्षण्िाक एवं अनुसंधान संस्थानों से मास्टर्स एवं पी.एच.डी. डिग्री को प्रदान करने हेतु आंश्िाक जरूरतों को पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन के ek/;e ls vuqca/k dj ldrk gSA**

तदनुसार, मामले को सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से और अधिक विस्तारित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं:-

विश्वविद्यालय, पारस्परिक शैक्षण्िाक, सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के लिए देश के दूसरे विश्वविद्यालयों/वैश्िवक विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ उद्योगों के साथ, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कृष्िा अनुसंधान एवं श्िाक्षा विभाग, नई दिल्ली तथा अन्य व्यवसायिक संस्थानों के साथ वर्त्तमान दिशा निर्देशों, नियमों एवं विनिमयों के अनुसार सहयोग अथवा सहभागिता कर सकता है। ऐसे सभी प्रस्ताव संबंधित विभागों के द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से कानूनी सहमति के उपरान्त कुलसचिव के विचारार्थ एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनार्थ अग्रेष्िात किए जाएंगे। संबंधित सहयोग/सहभागिता उन सभी प्रक्रियाओं एवं विवरणों पर प्रकाश डालेगा जिसका अनुपालन किया जायेगा।

हालांकि, विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ उद्योग/ वैश्िवक संगठनों से सहभागिता हेतु विद्वत परिषद तथा प्रबंध बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया tk;sxkA

अतः, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 dk 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (l) के अन्तर्गत प्राप्त शäियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों एवं प्राधिकरणों के साथ सहयोग के तरीकों से संबंधित प्रावधानों को जैसा की उपरोä विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

iqU;ozr lqfoeysUnq ik.Ms;] dqyifr

[जिज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]